FOR REFERENCE ONLY

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक
विभागीय प्रतिवेदन प्रशासनिक

2001—2002

निदेशालय,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक
विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2001-02

निदेशालय,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

NIEPA DC
D11800

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11800
Date 24/03/2003

प्राक्कथन

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर द्वारा वर्ष 2001–2002 का विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा के क्षैत्र में हुई प्रगति एंव विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है । केन्द्र सरकार की सहायता से भी राज्य में शिक्षा के विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा एंव शिक्षा के अन्य क्षैत्रो में विभिन्न योजनाऐं चलाई जा रही है। ऐसी समस्त योजनाओं की जानकारी भी इस प्रकाशन में दर्शाई गयी है ।

आशा है विभागीय गतिविधियों का यह प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा योजनाकारों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों एंव शिक्षा की प्रगति तथा शैक्षिक प्रशासन में अभिरूचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों एंव संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा । इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है ।

(पी.के. गोयल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

स्थान : बीकानेर
दिनांक : 16.11.2002

प्रकाशन से सम्बद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी

सांख्यिकी अनुभाग

1. श्री प्रकाश चन्द बंसल	उपनिदेशक (सांख्यिकी)
2. श्री गौरीशंकर व्यास	सांख्यिकी सहायक
3. श्री रमेश व्यास	सांख्यिकी सहायक
4. श्री सुरेश कुमार शर्मा	सांख्यिकी निरीक्षक
5. श्री कन्हैयालाल किराडू	सहायक कर्मचारी

कम्प्यूटर अनुभाग

1. श्री रूपकुमार शर्मा	वरिष्ठ लिपिक

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य परिचय	01
2.	प्रशासनिक स्वरूप	02-03
3.	शैक्षिक प्रगति	03-04
4.	बालिका शिक्षा	04-05
5.	केन्द्र प्रवृर्तित तथा अन्य योजनाएं	06-10
6.	शारीरिक शिक्षा एंव सहशैक्षिक प्रवृर्तियां	11
7.	आय व्यय	11-12
8.	पेंशन स्थिरीकरण	12
9.	न्यायिक प्रकरण	12-13
10.	विभागीय जांच प्रकरण	13
11.	विभागीय चयन समिति	13-14
12.	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान	14
13.	हितकारी निधि	15
14.	छात्रवृतियां	15-16
15.	गैर राजकीय संस्थाओं को अनुदान	16-17
16.	शिक्षक दिवस समारोह	17
17.	पुस्तकालय (समाज शिक्षा)	17
18.	शिक्षक प्रशिक्षण	18
19.	विभागीय प्रकाशन	18-19
20.	भाषायी अल्पसंख्यक	19-20
21.	कम्प्यूटरीकरण	20
22.	विशिष्ट शैक्षिक अभिकरण	20
23.	शिक्षा की प्रगति से संबंधित सारणियां	20-23

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 2001–2002

राजस्थान की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई । शिक्षा को सुव्यवस्थित संचालन के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर की स्थापना की गई । शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पृथकीकरण किया गया । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28–11–1997 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग अलग गठन किया गया । प्रारंभिक शिक्षा के लिए पृथक विभागाध्यक्ष, आई.ए.एस. बनाये गये एंव 01–01–1998 से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के अधीन पृथक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीकानेर मुख्यालय पर कार्य प्रारंभ कर दिया ।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राज्य की समस्त प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, के अधीन राज्य की समस्त माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक विद्याालयों का नियंत्रण एंव प्रशासन हैं । निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के नेतृत्व में निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य समकक्ष अधिकारी तथा प्रत्येक मंडल स्तर पर उपनिदेशक (माध्यमिक) व प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शैक्षिक प्रबंध व प्रशासन का दायित्व निभाते है ।

राजस्थान राज्य में आलौच्य वर्ष में कुल 32 जिले है, जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 5.65 कंरोड हैं । इनमें 2.94 करोड पुरूष एंव 2.71 करोड महिलाऐं हैं । 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0.760 करोड एंव अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.547 करोड हैं। वर्तमान में राज्य स्तर पर जनसंख्या धनत्व 165 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हैं ।

2001 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एंव उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत 61.03 है, जिसमें पुरूषों का 76.46 एंव महिलाऐं 44.34 प्रतिशत हैं । 1991 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रे में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 30.37 प्रतिशत हैं । जिसमें 47.64 प्रतिशत पुरूष एंव 11.59 प्रतिशत महिलाऐं है । राजस्थान के शहरी क्षैत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 65.33 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष 78.50 एंव महिला 50.24 प्रतिशत साक्षर है। राज्य में साक्षरता प्रतिशत 1951 से 1991 तक 4 गुणा से अधिक बढा हैं ।

(2) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रशासनिक स्वरूप

2001–2002 में माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के निदेशक पद पर श्री पी.के. गोयल कार्यरत रहे हैं ।

2.1 निदेशालय स्तर

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मुख्यालय पर वर्ष 2001–2002 में प्रशासनिक स्वरूप निम्न प्रकार से है:–

1. निदेशक, आई.ए.एस.–1
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), आर.ए.एस.–1
3. मुख्यलेखाधिकारी–1
4. संयुक्त निदेशक–3
5. उपनिदेशक–6 (शिक्षा–4, सांख्यिकी–1, खेलकूद–1)
6. जिला शिक्षा अधिकारी–4
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर–1
8. स्टाफ आफिसर–1
9. सहायक विधि परामर्शदाता–1
10. सहायक निदेशक–09
11. निजी सचिव–1
12. लेखाधिकारी–2
13. सहायक लेखाधिकारी–7
14. प्रशासनिक अधिकारी–2
15. मुख्य विधि सहायक–1

2.2 मंडल स्तर

माध्यमिक शिक्षा के कार्य एंव प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से 6 मंडल कार्यालयों का गठन किया गया है । वे है :– 1. बीकानेर (मुख्यालय चूरू) 2. जोधपुर 3. जयपुर 4. अजमेर 5. उदयपुर 6. कोटा । इनके अधीनस्थ अपने परिक्षेत्र की समस्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक बालक, बालिकाऐं शिक्षण संस्थाऐं हैं । मंडल कार्यालय तथा उनके अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयों का विवरण इस प्रकार हैं :–

मंडल का नाम	अधीनस्थ जिशिअ (माध्यमिक) कार्यालय
1. बीकानेर–चूरू मंडल	बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ, झुंझुंनू
2. जोधपुर मंडल	जोधपुर, जैसलमैर, बाडमेर, पाली, जालौर, सिरोही
3. उदयपुर मंडल	उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, राजसमंद
4. कोटा मंडल	केटा, बून्दी, झालावाड, बारां, करौली, सवाईमाधोपुर
5. अजमेर मंडल	अजमेर, भीलवाडा, नागौर, टौंक
6. जयपुर मंडल	जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सीकर, धौलपुर

2.3 जिला स्तरीय प्रशासन

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन मंडल स्तर पर उपनिदेशक (माध्यमिक) तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हैं । राज्य में 40 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय कार्यरत हैं । जिन 08 जिलों में माध्यमिक एंव सीनियर माध्यमिक विद्याालयों की संख्या अधिक है, उन जिलों में दो दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय हैं । जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने क्षेत्र की समस्त माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक स्तर की बालक/बालिका विद्याालयों का नियंत्रण एंव प्रशासन की देख रेख करते हैं । जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कुल 40 पद है, इनमें से जिला अजमेर, नागौर, भीलवाडा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर में दो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम एंव द्वितीय के अलग अलग संचालित हैं । शेष 24 जिलों में प्रत्येक में एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित हैं ।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का मुख्य कार्य जिले की अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक एंव सीनियर माध्यमिक शिक्षण संस्थानों से सम्पर्क बनाये रखना, निरीक्षण करना उनसे सूचनाएं एकत्रित कर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार, निदेशालय, क्षैत्रिय कार्यालयों को उपलब्ध कराना हैं । शैक्षिक संस्थानों पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाये रखने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का ही हैं । इनके कार्य की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एंव उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं ।

(3) शैक्षिक प्रगति– माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक

राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अथक सुनियोजित प्रयासो के परिणामों से शिक्षा और साक्षरता में काफी वृद्वि हुई है । राज्य की साक्षरता दर जो 1951 में 8.95 प्रतिशत थी जो बढकर वर्ष 2001 में 61.03 प्रतिशत हो गई हैं । भारत वर्ष का साक्षरता प्रतिशत 65.38 है ।

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एंव विस्तार हुआ है। राज्य में वर्ष 2001–02 में संदर्भ तिथि 30–9–2001 के आधार पर राजकीय एंव गैर राजकीय 5122 (4686 छात्र एंव 436 छात्रा) माध्यमिक विद्याालय तथा 2312 सीनियर माध्यमिक विद्याालय (1896 छात्र एंव 416 छात्रा) संचालित है । प्रबंधानुसार 3325 राजकीय, 53 सहायता प्राप्त, 1744 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्याालय है । इसी प्रकार 1699 राजकीय, 176 सहायता प्राप्त, 437 असहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं । माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापक 49953 हैं, इसमें 37610 पुरूष एंव 12343 महिलाऐं हैं। सीनियर माध्यमिक विद्याालयों में कुल 46663 अध्यापक कार्यरत हैं । इनमें से 32620 पुरूष एंव 14043 महिलाऐं है ।

माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 1471646 है इनमें से 990090 छात्र एंव 481556 छात्रा है । सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 1364143 है। इनमे से 937844 छात्र एंव 426299 छात्रा है ।

आलौच्य वर्ष में माध्यमिक एंव सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में स्तरानुसार (कक्षा 9 से 12) नामांकन उपलब्धि 14.33 लाख रही है । इसमें से 10.36 लाख छात्र एंव 3.97 लाख छात्राऐं हैं । अनुसूचित जाति का कुल नामांकन 1.78 लाख रहा, जिनमें 1.40 लाख छात्र एंव 0.38 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जनजाति का कुल नामांकन 1.24 लाख है जिनमें 1.00 लाख छात्र एंव 0.24 लाख छात्राऐं है।

राज्य सरकार तथा शैक्षणिक सत्र 2001–02 मे गैर राजकीय क्षैत्र के लगभग 1000 विद्यालयों को माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया जो अपने आप में एक कीर्तिमान है इसके फलस्वरूप राज्य सरकार को 40.00 लाख की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई । इस सत्र में राजकीय माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक विद्यालयो को क्रमोन्नति का प्रावधान नहीं रखा गया ।

(4) <u>बालिका शिक्षा</u>

राज्य में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा के विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिनके फलस्वरूप बालिका शिक्षा की अपेक्षाकृत वृद्वि हुई है । सन् 1951 में राज्य मे महिलाओं की साक्षरता मात्र 2.51 प्रतिशत थी जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढकर 44.34 प्रतिशत हो गयी हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 37.74 है, जबकि शहरी क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 65.42 हैं । इस प्रकार गत दशक की तुलना में ग्रामीण क्षैत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत वृद्वि तीन गुणा से ज्यादा हुई है ।

राजस्थान में 30–9–2001 की संदर्भ तिथि को बालिका शिक्षा के कुल 436 माध्यमिक विद्यालय है, जिनमें राजकीय 368, सहायता प्राप्त 15 एंव असहायता प्राप्त 53 विद्यालय है । इसी प्रकार 416 बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमे से 314 राजकीय 56 सहायता प्राप्त, 46 असहायता प्राप्त विद्यालय है। माध्यमिक विद्यालयों में कुल 12343 महिला अध्यापक है । सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कुल महिला अध्यापक 14043 है । राज्य में वर्ष 2001–02 में बालिका नामांकन स्तरानुसार (कक्षा 9 से 12) कुल 397244 रहा जिनमें से अनुसूचित जाति की छात्राओं का नामांकन 38350 एंव अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का नामांकन 24437 है ।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड. एंव शिक्षा शास्त्री हेतु स्वीकृत 6100 सीटो में से 20 प्रतिशत सीटे केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है । इसके अतिरिक्त 15 महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 2160 सीटो पर केवल महिलाओं को बी.एड. का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग के सभी 6 संभागीय मुख्यालयों पर 50–50 की क्षमता के बालिका छात्रवासों का निर्माण करवाया गया है ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर का सैकण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाओं को 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 1000/– की दर से प्रोत्साहन राशि देने की गार्गी पुरस्कार योजना सत्र 1997–98 से प्रारंभ की गयी । इस योजना के तहत सत्र 2001–02 में राज्य में 6500 बालिकाओं को कुल 60.05 लाख रूपये की राशि का वितरण किया गया है ।

राजस्थान पाठय पुस्तक मंडल के सोजन्य से राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में कक्षा 08 की समान परीक्षा योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन चालू रखने की स्थिति में कक्षा 09 व 10 में नियमित अध्ययन के लिए 1000/– प्रतिवर्ष की दर से दो किस्तो में प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की गई । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एंव सामान्य वर्ग की सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2000–01 से प्रियदर्शीनी पुरूस्कार प्रारंभ किया गया जिसमें प्रति बालिका 05 हजार रूपये नगर प्रोत्साहन राशी प्रदान की गई ।

(5) **केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनाएं**

5.1 **ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृति** :–

इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के क्रम में ग्रामीण क्षैत्र में अध्ययन कर रहे प्रतिभावान विद्यार्थियो का जिला स्तर पर परीक्षा योजना के पश्चात चयन किया जाकर कक्षा 9 एंव 10 के विद्यार्थियों को 300/– रूपये प्रतिवर्ष व 11 व 12 कक्षा के विद्यार्थियों को 600/– रूपये प्रतिवर्ष छात्रवृति दी जा रही है । वर्ष 2001–02 में 4700 विद्यार्थियो को 21.15 लाख रूपये वितरित किये गये ।

5.2 पूर्व मैट्रिक अस्वच्छ कार्य छात्रवृति :–

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग एंव अस्वच्छ कार्य में लगे परिवार के बच्चो को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु वर्ष 2001–02 में 23.99 लाख रूपये वितरित किये गये । इसमें केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का 50–50 प्रतिशत हिस्सा हैं ।

5.3 **छात्रवृतियां** :–

विभिन्न छात्रवृति योजनाओं को विवरण विस्तृत रूप से 'छात्रवृति' शीर्षक से बिन्दु संख्या 14 में दिया गया हैं ।

5.4 गार्गी पुरस्कार योजना :–

'बालिका' शिक्षा के अन्तर्गत पूर्व में विवरण दिया जा चुका है ।

5.5 विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना :–

विद्यार्थियो की आत्म सुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना 1996 से प्रारंभ की गयी। वर्ष 1999.2000 में राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना

की प्रीमियम को दुगुना करने का निर्णय लिया ताकि विद्यार्थी को मुआवजे की राशि 10 हजार रूपये के स्थान पर 20 हजार प्राप्त हो सके । वर्ष 2001–02 के प्रिमियम भुगतान हेतु 45.00 लाख रूपये का भुगतान राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को किया गया ।

5.6 बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन योजना :–

इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 व 11 में 70 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए अक्टूबर,2001 से नवम्बर,2001 तक विशेष शैक्षिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की गयी । इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यालय से चयनित छात्र/छात्राओं के लिए शीतकालीन अवकाश के समय 07 दिवसीय जिला स्तरीय विशेष कोचिंग शिविर लगाये गये !

5.7 आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. :–

केन्द्रीय प्रवृर्तित योजना के अंतर्गत चार उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है । इनमें दो राजकीय तथा दो गैर राजकीय है । राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर तथा अजमेर में संचालित है । दो गैर राजकीय आई.ए.एस.ई. विद्याभवन उच्च अध्ययन संस्थान उदयपुर एंव गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन संस्थान सरदार शहर (चूरू) में संचालित है । 06 कॉलेज ऑफ टीचर एज्यूकेशन (सी.टी.ई.) कमशः जोधपुर, डबोक (उदयपुर), हटुन्डी (अजमेर), बग्गड (झुंझुंनू), संगरिया (हनुमानगढ), भुसावर (भरतपुर) में संचालित हैं ।

5.8 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रो को प्रतिभा विकास योजना :–

यह योजना शत प्रतिशत भारत सरकार की सहायता के अंतर्गत वर्ष 87.88 से चालू है । उच्च शिक्षा की आंकाक्षा रखने वाले माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को प्रातः एंव सांयकालीन विशेष कक्षाऐं लगाई जाकर पांच विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । यह योजना राज्य के 03 विद्यालयों में संचालित है । ये तीन विद्यालय है :–

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदडा, अजमेर
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा
3. रा. गुरू गोंविद सिंह उ.मा.वि., उदयपुर

इन तीन विद्यालयों को अलग अलग जिले आवंटित है । 2001–02 में तोपदडा, अजमेर में 55 कोटा में 36 तथा उदयपुर में 42 छात्रो को लाभन्वित किया गया । इस योजना के तहत वर्ष 2001–02 में 19.95 लाख रूप्ये का प्रावधान किया गया है ।

5.9 राष्ट्रीय सेवा योजना :–

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत 10 जमा दो स्तर के विद्यालयों में वर्ष 1990 से यह योजना आरंभ की गई । यह योजना वर्तमान में 470 चयनित सीनियर माध्यमिक विद्यालयो में संचालित है । इस योजनान्तर्गत 10 दिवसीय विशेष शिविर एंव एक एक दिवसीय शिविर के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है । जिसके लिए 10,000 रूपये की राशि आवंटित की जाती है । राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित और विशेष कार्यक्रमों के मुख्यतः चार पक्ष है :–

1. **संस्थागत कार्य** :–

   बाहरी कल्याणकारी संगठनों के साथ स्वंय सेवक के रूप में जुड़कर कार्य करना ।

2. **संस्थागत परियोजना** :–

   विद्यालय व परिसर में सुधार लाना ।

3. **ग्रामीण परियोजना** :–

   निरक्षरता का उन्मुलन करना, बचत के लिए प्रेरित करना, सड़को का सुधार व निर्माण, सफाई, वृक्षारोपण, परिवार कल्याण एंव समाजिक कुरीतियों की उन्मूलन करना ।

4. **शहरी परियोजनाऐं** :–

   साक्षरता का प्रचार–प्रसार, गन्दी बस्तिओं में सफाई, अस्पताल में सेवा कार्य, उपभोक्ता संरक्षण कानून का प्रचार करना एंव अल्प बचत को बढावा ।

5.10 **दसवां वित्त आयोग योजना** :–

10वें वित्त आयोग के अंतर्गत महिला शिक्षा के संवर्धन तथा पेयजल की व्यवस्था हेतु 50.21 करोड रूपये की अभिशंषा की गयी थी जिसमें 25 बालिका छात्रवासों का निर्माण, 1469 माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय, 3866 उ.प्रा.वि. एंव 753 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण, 237 उ.प्रा.वि. में चार दीवारी निर्माण एंव 6354 विभिन्न स्तर के विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपंप स्वीकृत किये गये । उपरोक्त कार्यो पर मार्च, 2001 तक 45.60 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके है।

5.11 **संत्राक** :–

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अर्द्व वार्षिक परीक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के उदेश्य से कक्षा 10 व 12 के लिए सत्र 95.96 से संत्राक योजना लागू की गई । इस योजना के तहत उक्त कक्षाओं के छात्रों को अर्द्व वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांको के 10 प्रतिशत अंक बोर्ड की परीक्षा में शामिल किये जाते है । उक्त योजना को इस सत्र मे और अधिक प्रभावी बनाया गया, जिससे बोर्ड को परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम के प्रतिशत में वृद्वि हुई है ।

5.12 विद्यालय निरीक्षण :–

विद्यालयों के सुसंचालन एंव शैक्षिक कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु विद्यालयों का सतत मूल्यांकन एंव मार्गदर्शन आवश्यक है । इस हेतु विभाग द्वारा सत्र के आरंभ से ही सधन निरीक्षण के प्रयास किये गये जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है । सत्र 2001–02 में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मंडल अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा 2877 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है ।

5.13 भामाशाह सम्मान योजना :–

विद्यालय के भामाशाह योजना विभाग द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई । इस योजनान्तर्गत दानदाताओं से शाला के विकास हेतु योगदान प्राप्त करना तथा शाला परिवार से जुडकर निर्माण हेतु अभिप्रेरित करना है । विभिन्न दानदाताओं (भामाशाहो) द्वारा निर्मित 06 मा. विद्यालयों भवनों को दान में एंव राज्याधीन लिया गया जिनकी कुल लागत 125.99 लाख है ।

5.14 गार्गी पुरस्कार योजना :–

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थानकी कक्षा 10 में कुल 75 प्रतिशत व इससे अधिक प्राप्तांक वाली समस्त छात्राओं को 2 वर्ष तक कक्षा 11, 12 में नियमित अध्ययन हेतु 1000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि देने की गार्गी पुरस्कार योजना सत्र 1997–98 से आरंभ की गई । वर्ष 2001–02 में राज्य की 6005 छात्राओं को कुल 60.05 लाख रुप्ये की राशि का वितरण किया गया।

5.15 भवन निर्माण/मरम्मत :–

विद्यालयों एंव कार्यालयो के निर्माणाधीन भवनो एंव पुराने भवनो की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा 2001–02 में राजकीय विद्यालय/कार्यालय भवन मरम्मत हेतु कुल 99.93 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गई ।

5.16 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों को पुरूस्कार योजना :–

शैक्षिक सत्र 2000–01 में आयोजित बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 व 12 में जिन राजकीय विद्यालयों ने जिला स्तर पर एंव राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया उन्हे पुरूस्कृत करने का निर्णय लिया है । राज्य स्तर पर एक एक सैकण्डरी एंव सीनियर सैकण्डरी विद्यालय को 50 हजार रूपये पुरूस्कार स्वरूप प्रदान किये गये । इसी प्रकार जिला स्तर पर सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों को 25 हजार रूपये प्रदान किये गये । इस वर्ष योजना में 17 लाख रूपये की राशी पुरूस्कार स्वरूप प्रदान की गई ।

5.17 नागरिक अधिकारी पत्र :–

राज्य सरकार की धोषित नीति के अनुसार शिक्षको/कर्मचारियो की जवाबदेही निश्चित करने हेतु स्वच्छ पारदर्शी, संवेदनशील एंव उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था सुलभ करवाने के लिए विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया तथा इसे विभाग की शिविरा पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया है ।

(6) शारीरिक शिक्षा एवं सह–शैक्षिक प्रवृतियां :–

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताऐं आयोजित होती है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता जिला शिक्षा अधिकरी (माध्यमिक) के तत्वाधान में एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के तत्वाधान में आयोजित करवाई जाती है। राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता मानद सचिव स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया चण्डीगढ द्वारा आयोजित करवाई जाती है, जिसमें राजस्थान की स्कूल टीम भी भाग लेती है। नेहरु हाकी में जिला एवं राज्यस्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इण्डिया द्वारा आयोजित 47वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता सत्र 2001–02 में राज्य दल ने भाग लिया तथा उपलब्धियां अर्जित की। निम्नाकित खेलों में राज्य दल ने पदक प्राप्त किये:–

1.	बास्केटबॉल	:	19 वर्ष छात्रा –	कास्यं पदक	एक
			17 वर्ष छात्रा –	रजत पदक	एक
2.	कुश्ती	:	19 वर्ष छात्र –	कास्यं पदक	तीन
			17 वर्ष छात्र –	कास्यं पदक	तीन
3.	जूड़ो	:	19 वर्ष छात्रा –	कांस्य पदक	दो
4.	खो–खो	:	19 वर्ष छात्र –	रजत पदक	एक

(7) आय व्यय :–

निदेशालय माधमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का वर्ष 2001–02 का वित्तीय प्रगति विवरण निम्न प्रकार है:–

वित्तीय प्रगति वर्ष 2001–02

(राशि लाख रूपयो मे)

क्र. सं.	बजट मद	आय–व्ययक अनुमान 2001--02	संशोधित अनुमान 2001–02	वास्तविक आय/व्यय
1	प्राप्तियां	557.30	557.30	630.52
2	व्यय			
	1. आयोजना व्यय	11459.22	11307.27	11238.64
	2. आयोजना भिन्न व्यय	106870.73	101307.07	100835.91
	3. केन्द्र प्रवर्तित योजना	1375.23	284.69	234.56

(8) **पेंशन स्थिरीकरण** :–

विभाग में सत्र 2001–02 में 3036 पेंशन प्रकरण में से 2642 पेंशन प्रकरण निपटाये गये तथा 394 प्रकरण शेष रहे। शेष प्रकरणों को निष्पादन के लिये विभाग द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर निपटाने की कार्यवाही शुरु कर दी गयी है।

विभाग द्वारा सत्र 2000–01 में कुल 604 स्थिरीकरण प्रकरणों में से 416 स्थिरीकरण प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 188 प्रकरण शेष रहे जिनके शीध्र निस्तारण की कार्यवाही जारी है।

(9) **न्यायालय प्रकरण** :–

अधिकारियों, शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय की शरण ली जाती है। न्यायालय में दायर वादों को निपटाने के लिये निदेशालय स्तर पर गठित विधि अनुभाग द्वारा राज्य सरकार की मदद से त्वरित गति से निपटाने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2001–02 में प्राप्त वाद एवं निपटाये गये वाद की स्थिति निम्न है:–

न्यायिक प्रकरणो की प्रगति स्थिति की सूचना

न्यायालय का नाम	31 मार्च, 2001 तक बकाया प्रकरण	4/2001 से 3/2002 तक नवीन प्राप्त प्रकरण	4/2001 से 3/2002 तक निर्णित प्रकरण	3/2002 को विचाराधीन प्रकरण
उच्च न्यायालय, जोधपुर	1233	197	183	1247
उच्च न्यायालय, जयपुर	2271	362	250	2383
सिविल सेवा अपील अधिकरण	1464	437	272	1629
राज. शैक्षिक अधिकरण (गैर सरकारी संस्थाऐं)	805	176	135	846
अधिनस्थ न्यायालय	2257	103	82	2278
योग	8030	1275	922	8383

(10) **<u>विभागीय जांच प्रकरण</u>** :–

वर्ष 2001–02 में जांच प्रकरण निस्तारण में लम्बित प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने की कार्यवाही की गई । निदेशालय में सीसीए–16 में 228 में से 38 प्रकरण, सीसीए–17 में 224 में से 128 प्रकरण निपटाये गये । इसी प्रकार निलम्बन के 94 प्रकरणो में से 40 निलम्बन प्रकरण निपटाये गये ।

(11) **<u>विभागीय चयन समिति</u>** :–

सत्र 2001–02 तक डी.पी.सी. की स्थिति निम्न प्रकार है :–

संवर्ग	वर्ष
1. प्रधानाचार्य	2000–01
2. उप प्रधानाचार्य	1999–2000
3. प्रधानाध्यापक	2000–01
4. व्याख्याता (पुरूष)	
भूगोल, समाज शास्त्र, हिन्दी, नागरिक शास्त्र, शारीरिक शिक्षक–I ग्रेड, इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, राजस्थानी	1999–2000

संवर्ग	वर्ष
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र	1996–97
गणित, जीवविज्ञान, सिधीं	1995–96
वाणिज्य	1993–94
चित्रकला	1990–91
कृषि	1980–81
5. व्याख्याता (महिला)	
हिन्दी, नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षक–I ग्रेड, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, राजस्थानी, समाज शास्त्र	1999–2000
रसायन, गणित, जीवविज्ञान, सिंधी	1995–96
संगीत, अवर उप जि.शि.अ.	1997–98
भौतिक शास्त्र	1991–92
चित्रकला	1989–90
वाणिज्य	1993–94

(12) **<u>राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान</u>** :–

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष डा. राधाकृष्ण के जन्म दिवस 05 सितम्बर से झंडियों की बिक्री का शुभारंभ कर शिक्षकों की सहायतार्थ राशि एकत्रित करता है । इस राशि से शिक्षकों के निधन पर रूपये 5000 व व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षक के पुत्र/पुत्री को अध्ययनार्थ 2000 रूपये की आर्थिक सहायता देता है । वर्ष 2001–02 में दी गई सहायता का विवरण निम्न प्रकार से है :–

विवरण	राशी	प्रकरण
1. शिक्षको के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता	2,27,000.00	46
2. यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत शिक्षको के बच्चो को आर्थिक सहायता (इंजीनियरिंग, मैडिकल, एम.बी.ए. में अध्ययनरत बच्चों को)	1,53,837.00	80

(13) **<u>हितकारी निधि</u>** :–

इस योजना का संचालन निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा गठित समिति द्वारा निदेशक महोदय की अध्यक्षता में ही किया जाता है । राज्य कर्मचारियों से वार्षिक अंशदान दिसम्बर माह के वेतन से जिसका भुगतान जनवरी माह में किया जाता है, लिये जाने का प्रावधान है । प्राप्त राशि से ही राज्य कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों तथा स्वंय की बीमारी पर कर्मचारियों एंव परिवार के किसी सदस्य की गम्भीर बीमारी पर सहायता दी जाती है । प्राप्त अंशदान के आधार पर ही सहायता राशि में बढोतरी भी होती रहती हैं । इस योजना में कर्मचारी के निधन पर रूपये 5000/– तथा बीमारी पर 3000/– की सहायता दी जाती है । वर्ष 2001–02 में निम्न प्रकार सहायता दी गई :–

निधन पर सहायता	89 प्रकरण		4,10,000 रूपये
बीमारी पर सहायता	11 प्रकरण		0,25,500 रूपये
			————————
		योग	4,35,500 रूपये
			————————

(14) **<u>छात्रवृतियां</u>** :–

विभाग द्वारा वर्ष 2001–02 में संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं का विवरण इस प्रकार से है:–

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति, विमुक्त एंव धुमन्तु जाति तथा अन्य पिछडी जाति (बोर्डर एरिया) के छात्रें को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति
(2) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चो को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति
(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियो को प्रदत्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
(4) अत्यन्त निर्धनता छात्रवृति योजना
(5) मृत राज्य कर्मचारी के बच्चो को दी जाने वाली छात्रवृति
(6) प्रतिभा विकास कार्यक्रम योजना
(7) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रो को दी जाने वाली विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति ।
(8) ग्रामीण क्षेत्रे के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृति

छात्रवृति की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2001–02 में व्यय राशि एंव लाभान्वित विद्यार्थियो का विवरण निम्न है :–

छात्रवृति योजना नाम	व्यय (लाखो में)	लाभान्विति की संख्या
1. अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	492.55	2,07,351
2. अनु. जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	309.90	1,30,340
3. अनु. जाति उत्तर मॅट्रिक छात्रवृति	274.53	30,501
4. अनु. जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	331.90	36,880
5.अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार के बच्चो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	23.99	2,552
6. ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृति	21.15	4,700
7. पूर्व सैनिको की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति	1.05	105
8. अत्यन्त निर्धनता छात्रवृति योजना	0.45	370
9. मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को	0.12	100

(15) **<u>गैर राजकीय संस्थाओं को अनुदान</u>** :–

अनुदान प्राप्त संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों एंव अनुदान प्रतिशत के आधार पर बजट अनुमान प्रस्तावित किया जाता है इस अनुमान में वेतन भत्तो, कार्यालय एंव अन्य व्यय की गणना की जाती है । वर्ष 2001–02 में आयोजना भिन्न मद में विभिन्न संस्थाओं का अनुदान दिया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	संस्था स्तर	संस्थाओं की संख्या	व्यय राशि (लाखो में)
1.	भारतीय लोक कला मंडल	01	27.54

2.	माध्यमिक विद्यालय	94	
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	136	4000.00
4.	छात्रावास	24	
5.	केन्द्रीय कार्यालय	32	
6.	शिक्षण प्रशिक्षण महाविधालय	03	88.00
7.	पुस्तकालय	57	17.00
		347	4132.54

(16) **<u>शिक्षक दिवस समारोह</u>** :–

05 सितम्बर, 2001 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षैत्र में कार्यरत शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका एंव विशिष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया । वर्ष 2001 में 50 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयनित किया गया । पुरस्कृत होने वाले प्रत्येक शिक्षक को वर्तमान में 3001/–रूपये नकद राशि के अतिरिक्त शाल, प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान किया जाता है । यह पुरस्कार महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जाता है ।

(17) **<u>पुस्तकालय (समाज शिक्षा)</u>** :–

राज्य में 44 राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित है इसमें 01 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, मंडल पुस्तकालय–6, जिला पुस्तकालय–28, तहसील पुस्तकालय–9 हैं । ये सभी पुस्तकालय समाज शिक्षा के अधीन है । राज्य के तीन जिलो (जयपुर, बीकानेर, जोधपुर) में क्रमशः 10, 01 व 02 वाचनालय समाज शिक्षा के तहत संचालित है । इन पुस्तकालयों/वाचनालयों में संदर्भ ग्रंथ हस्तलिखित पाण्डुलिपियां, प्राचीन एंव दुलर्भ ग्रंथ है ।

इसके अतिरिक्त पत्र–पत्रिकाएं व समाचार पत्र उपलब्ध है । रोजगार पत्र पत्रिकाएं राज्य के पुस्तकालयों में उपलब्ध रहती है । इन राजकीय 44 सार्वजनिक पुस्तकालयों में से 33 पुस्तकालयों के राजकीय भवन है एंव 11 पुस्तकालय अराजकीय भवन में चल रहे है ।

(18) **<u>शिक्षक प्रशिक्षण</u>** :–

माध्यमिक उंव उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करवाने हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए राजस्थान में कुल 48 राजकीय/गैर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। जिनमें केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत चार उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा सात शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है । इनमें स्नातकों व अधिस्नातकों को प्री. बी.एड. टेस्ट में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाता है । इसमें प्रशिक्षण की अवधि एक शिक्षण सत्र की होती है। इनमें सह–शिक्षा व्यवस्था है । महिलाओं एंव पुरूषो के लिए पृथक–प्रथक महाविद्यालय भी है ।

6100 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में आवंटन किया गया है । बी.एड. के 5500 प्रशिक्षणार्थियों में 3340 सामान्य व 2160 महिला है । शिक्षा शास्त्री के पाठ्यक्रम में 480 सामान्य व 120 महिला प्रशिक्षणार्थी है । अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए 300 सीटस का विशेष आवंटन है जो कि उक्त 6100 में सम्मिलित है ।

<u>शारीरिक शिक्षा पाठयक्रम</u>

राज्य में शारीरिक शिक्षा के क्षैत्र में सत्र 2001–02 को बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से चालू सत्र हेतु 670 सीटों पर प्रवेश दिया गया । राज्य में राजकीय क्षैत्र में केवल एक तथा 09 गैर राजकीय क्षैत्र में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय संचालित हो रहे है । महाराणा प्रताप शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हिन्ता भीण्डर (उदयपुर) संस्थान में 20 सीटे टाडा आशार्थियों हेतु तथा 20 सीटें माडा क्षैत्र के आशार्थियों हेतु आवंटित है ।

(19) **<u>विभागीय प्रकाशन</u>** :–

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रकाशन विभाग की ओर से सम्पूर्ण शिक्षा जगत को जानकारी देने एंव शिक्षा निर्णायक मुद्दो पर विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रतिमाह शिविरि पत्रिका प्रकाशित की जाती है । शिविरा पत्रिका के प्रकाशन का यह 42वां वर्ष हैं । शिविरा को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशो में भी अपनी विशिष्ठ पहचान है । वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या लगभग 30,000 है ।

नया शिक्षक/टीचर टूडे (त्रैमासिक) पत्रिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सांख बनाई है । इसकी प्रसार संख्या लगभग 15,000 है ।

शिक्षक दिवस प्रकाशन योजनान्तर्गत निम्नांकित पांच पुस्तकों का प्रकाशन किया :–

1. हिन्दी विविधा – साहित्य के हस्ताक्षर
2. कविता संकलन – पंखो की आवाज
3. राजस्थानी विविधा – पीलो बादल
4. शिक्षा साहित्य – शिक्षा का सरोवर
5. बाल साहित्य – सरसो के फूल

प्रकाशन में 20 लाख रूपये आवंटित किये गये, जिसका व्यय किया गया ।

(20) **<u>भाषायी अल्पसंख्यक</u>** :–

भारतीय संविधान की धारा 350(क) के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का स्पष्ट प्रावधान है । राजस्थान में उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंव गुजराती इन चारों अल्पसंख्यक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है ।

<u>माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा सुविधा</u> :–

राज्य की माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक स्तर पर इच्छुक छात्रों को उनकी अल्पभाषा तृतीय भाषा, ऐच्छिक विषय पढने की सुविधा प्रदान की गयी हैं । इन विद्यालयों में एक कक्षा में अल्पभाषी छात्रों की संख्या 15 या पूरे विद्यालय में 60 छात्र अल्पभाषा अध्ययन करना चाहते है, तो यह सुविधा प्रदान करायी जावेगी ।

इस हेतु कक्षा 9 से 10 तक निदेशक माध्यमिक शिक्षा तथा कक्षा 11 से 12 तक राज्य सरकार आदेश जारी करती है । राज्य में अल्पसंख्यकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण निम्नलिखित संस्थाओं में संचालित है :–

1. राजकीय अल्पभाषा शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, अजमेर
2. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, टोंक
3. राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, अजमेर

(21) **<u>कम्प्यूटरीकरण</u>** :–

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में त्वरित गति से कार्य सम्पादन हेतु कम्प्यूटर अनुभाग स्थापित है । एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) इसके प्रभारी है ।

निदेशालय के विभिन्न अनुभागों के कार्य तथा आंकड़े कम्प्यूटर अनुभाग की सहायता से सम्पादित किये जाते है । रोकड़, योजना, संस्थापन्न एबी, सी, निजी अनुभाग, बजट, पेंशन, सांख्यिकी, विभागीय जांच, वरिष्ठता, सामान्य प्रशासन, अनुदान, विधि, समाज शिक्षा, सतर्कता व माध्यमिक अनुभागों के विभिन्न प्रकार के कार्य तथा सूचना कम्प्यूटर अनुभाग से तैयार की गयी है । इससे एक ओर कार्य को गति मिली है, वहीं कार्य तथा सूचनाओं की गुणवता में भी अभिवृद्धि हुई है।

(22) **<u>विशिष्ठ शैक्षिक अभिकरण</u>** :–

शिक्षा के क्षैत्र में विकास के लिए निम्नलिखित विशिष्ठ संस्थान भी कार्यरत है :–

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
2. संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर
3. राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
4. छः अकादमियां
5. भाषा एंव पुस्तकालय विभाग, जयपुर

(23) **<u>शिक्षा की प्रगति से संबंधित तालिकाऐं वर्ष 2001–02</u>** :–

सारणी नम्बर–1

राज्य में प्रबंधानुसार शिक्षण संस्थाऐं (30–9–2001)

प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय			सी. माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	2957	368	3325	1385	314	1699
अनुदान प्राप्त	38	15	53	120	56	176
असहायता प्राप्त	1691	53	1744	391	46	437
योग	4686	436	5122	1896	416	2312

सारणी–2

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शिक्षण संस्थान (30–9–2001)

शाला का प्रकार	ग्रामीण	शहरी	योग
1. माध्यमिक विद्यालय	3600	1522	5122
2. सी. माध्यमिक विद्यालय	1284	1028	2312
योग :	4884	2550	7434

सारणी–3

शालावार प्रबंधानुसार नामांकन (30–9–2001)

शाला प्रबंध	माध्यमिक विद्यालय			सी. माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	530521	252004	782525	646546	262670	909216
सहायता प्राप्त	17820	14233	32053	88245	57207	145452
असहायता प्राप्त	441749	215319	457068	203053	106422	309475
योग	990090	481556	1471646	937844	426299	1364143

सारणी–4

शालावार प्रबंधानुसार अनुसूचित जाति नामांकन (30–9–2001)

शाला प्रबंध	माध्यमिक विद्यालय			सी. माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	93862	33832	127694	108250	30467	138717
सहायता प्राप्त	1574	1232	2806	7583	5311	12894
असहायता प्राप्त	47657	21778	69435	15392	7603	22995
योग	143093	56842	199935	131225	43381	174606

सारणी–5

शालावार प्रबंधानुसार अनुसूचित जनजाति नामांकन (30–9–2001)

शाला प्रबंध	माध्यमिक विद्यालय			सी. माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	61330	20778	82108	66574	15636	82210
सहायता प्राप्त	709	458	1167	1894	1410	3308
असहायता प्राप्त	27455	10516	37971	13754	4393	18147
योग	89494	31752	121246	82226	21439	103665

सारणी–6

कुल अध्यापक शाला एंव प्रबंधानुसार (30–9–2001)

शाला प्रबंध	माध्यमिक विद्यालय			सी. माध्यमिक विद्यालय		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
राजकीय	23233	5289	28522	24996	7732	32728
सहायता प्राप्त	300	373	673	1996	1926	3922
असहायता प्राप्त	14077	6681	20758	5628	4385	10013
योग	37610	12343	49953	32620	14043	46663

सारणी–7

विद्यालयवार छात्र–अध्यापक अनुपात (2001–02)

विद्यालय	मापदण्ड	वर्ष 2001–02
माध्यमिक विद्यालय	20:1	27:1
सी. माध्य. विद्यालय	20:1	28:1

सारणी–8

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर परीक्षा परिणाम 2001–02

क.सं.	परीक्षा का नाम	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
1.	माध्यमिक	5,19,190	2,85,539	55.00
2.	सीनियर माध्यमिक	2,59,312	1,78,599	68.87

सारणी–9

शाला अनुसार कुल अध्यापक अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति अध्यापक

(30–9–2001)

विद्यालय	कुल अध्यापक			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
माध्यमिक	37610	12343	49953	4832	685	5517	2024	141	2165
सी. माध्य. विद्यालय	32620	14043	46663	3275	399	3674	1357	109	1466
योग	70230	26386	96616	8107	1084	9191	3381	250	3631

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning & Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
NIEPA DC